रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1983/माघ 13, 1904
No. 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 1983/MAGHA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय चिकित्सा प्रभाग)

निर्वाचन सेल

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1983

का० आ० 74 (अ).— भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा, केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियमावली, 1975 के नियम 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 5 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं० एस० ओ० 5(ई) में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

1	2	3
"2	डा० ए० एन० एम० हसन, स्वास्थ्य सेवा संयुक्त निदेशक (जन स्वा०) असम सरकार, गौहाटी,	असम"

(2) क्रम सं० 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"16	डा० जी० बालासुब्रामणियम, जी० सी० आई० एम० अध्यक्ष, तमिलनाडु भारतीय चिकित्सा बोर्ड, सं० 44, पार्थसारथी स्ट्रीट, ट्रिप्लीकेन, मद्रास-600005.	तमिलनाडु"

[सं० वी० 26018/3/82 निर्वाचन सेल]
एस० के० सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(I. S. M. Division)
(ELECTION CELLL)
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd Feb. , 1983

S.O. 74(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of rule 2 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rule, 1975, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. S. O. 5(E), dated the 5th January, 1983, namely:—

(1) In the Table to the said notification, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

1	2	3
"2.	Dr. A. N. M. Hassan, Joint Director of Health Services (PH) Assam" Government of Assam, Gauhati.	

(2) for serial No. 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

"16.	Dr. G. Balasubramaniam, GCIM, President, Tamil Nadu Board of Indian Medicine, No. 44, Parthasarathy Street, Triplicane, Madras-600005.	Tamil Nadu"

[No. V. 26018/3/82-Election Cell]
S. K Sudhakar, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983